# अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जयपुर
## पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 38/2025 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. उमरदराज पुत्र स्व. छोटे खां,
2. जरीन पत्नी उमरदराज खां,
3. उमर निसाज पुत्र उमरदराज,
4. शहनाज पुत्र उमरदराज,

पता :– मकान नम्बर 562, कठपूतली कॉलोनी, कर्नल बिग्रडियर भवानी सिंह रोड, जयपुर एवं मकान नम्बर 724–ए, चीनी की बुर्ज, भुजिया दरवाजे के नीचे, चौकडी सरहव, जयपुर।

**अपीलार्थी**

बनाम

जमीला पत्नी स्व. छोटे खां, निवासी मकान नम्बर 724–ए, चीनी की बुर्ज, भुजिया दरवाजे के नीचे, चौकडी सरहव, जयपुर।

**प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.07.2019 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 67/2017 ब उनवानी श्रीमती जमीला बनाम उमरदराज व अन्य।

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक 09.03.2026**

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 67/2017 ब उनवानी श्रीमती जमीला बनाम उमरदराज में पारित निर्णय दिनांक 11.07.2019 से व्यथित होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 16819/2019 ब–उनवानी उमरदराज बनाम जमीला एवं एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 8990/2020 ब–उनवानी जमीला बनाम उमरदराज में पारित आदेश दिनांक 01.08.2025 की पालना में उभय पक्ष द्वारा पृथक अपील प्रस्तुत की गई है, जिन्हे इकजाई कर प्रकरण में सुनवाई की गई।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष की सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थी ने एक आवेदन पत्र माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर प्रथम के समक्ष प्रस्तुत किया

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

गया। अधीनस्थ अधिकरण ने दोनो पक्षों की बहस सुनकर निम्न आदेश पारित किया गया कि "भरण पोषण अधिनियम की धारा–4 (1) के अन्तर्गत धारा–5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिये वांछित श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि वह स्वयं मौखिक स्वीकारोपित, मौका कमीश्नर रिपोर्ट अनुसार स्वयं की सम्पति से स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम है, परन्तु पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य झगडा होना जाहिर करते है, इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थिया के साथ सदव्यवहार करे, प्रार्थिया को उसकी स्वयं की सम्पति के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे तथा यदि अप्रार्थीगण के पास स्वयं का कठपूतली नगर में आवास है तो वे वहां निवास करे।" अपीलार्थी संख्या 1 से जन्म से ही उपरोक्त सम्पति पर निवास करते चले आ रहे है तथा काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त सम्पति पर उक्त सम्पति पर उच्च न्यायालय में विचारण चल रहा है तथा उक्त सम्पति का टाईटल आज दिन तक विवादित है। प्रत्यर्थिया उक्त सम्पति से मासिक 32,000/–रूपये किराया अर्जित करती है तथा उक्त राशि को स्वयं पर ही वहन करती है। अपीलार्थी संख्या 1 बहुत गरीब व्यक्ति है तथा उसके पास रहने के लिये उक्त सम्पति के अलावा अन्य किसी प्रकार की सम्पति नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा जिस सम्पति को आदेश में उल्लेख किया गया है वह सम्पति रहने योग्य नहीं है वह बहुत छोटी है। अपीलार्थी संख्या 2 छोटे छोटे काम करके घर का गुजारा चलाती है तथा अपीलार्थी संख्या 1 बीमार रहता है जिसका ईलाज का खर्च भी अपीलार्थी संख्या 2 ही उठाती है। प्रत्यर्थीया द्वारा किराये से अर्जित आय का किसी प्रकार का खर्चा अपीलार्थी को नहीं दिया जाता है। प्रत्यर्थिया अपीलार्थी को लडाई झगडा करके बार–बार हैरान परेशान करती रहती है व छोटी–छोटी बातो पर पुलिस को बुला लेती है तथा अपीलार्थीगण को पाबन्द करवा देती है। उक्त सम्पति के टाईटल का विवाद निस्तारित नही हो जाता है तब तक प्रत्यर्थिया अपीलार्थीगण के विरूद्ध बेकब्जा करने के लिये वाद नहीं ला सकती है। क्योकी उक्त सम्पति प्रत्यर्थिया की नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण को उक्त मकान में शांति पूर्वक रहने तथा प्रत्यर्थिया द्वारा अपीलार्थीगण से लडाई झगडा गाली गलौच व मकान से बेदखल नहीं करने के आदेश फरमावे एवं अधिनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2019 को खारिज फरमाया जावे।

5. प्रत्यर्थिया ने बहस में कथन किया कि अपीलार्थीगण उक्त सम्पति मकान नम्बर 724 ए, भुजियों का दरवाजा, चीनी की बुर्ज, छोटी चौपड, जयपुर मे निवास नहीं करता है बल्कि दिनांक 12.02.2017 को जबरन प्रत्यर्थिया के मकान में कब्जा किया है, जिसका प्रमाण कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय जयपुर उत्तर महानगर के डिस्पेच नम्बर 2411 दिनांक 27.03.2017 को प्रस्तुत कर जमानत मुचलको से अपीलार्थीगण को पाबन्द किया गया है। उक्त मकान का टाईटल आज दिन तक विवादित नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थिया का स्वयं की आय से मकानात बनाने का खर्चा कर करीब 55 वर्षो से काबिज है। अपीलार्थी संख्या 1 जब मात्र 2 वर्ष का था तभी प्रत्यर्थिया के पति छोटे खां का स्वर्गवास हो गया थ तथा उक्त मकान में प्रत्यर्थिया ने स्वयं की अर्जित आय से कब्जा कर मकान बनाया है। इस मकान में अप्रार्थीगण का कण मात्र भी खर्चा नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण का कच्ची बस्ती रजिस्टर जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार ज्योति नगर कच्ची बस्ती जयपुर में 16 वर्ष की आयु से ही लगातार निवास किया है। अपीलार्थी संख्या 1 का पुराना आधार कार्ड नम्बर 9119 7339 6874, पुराना मतदाता पहचान पत्र दिनांक 14.10.1995 भी ज्योतिनगर कच्ची बस्ती जयपुर का बना हुआ है तथा अपीलार्थी संख्या 1 का बी.पी.एल. नम्बर 6551 एवं राशनकार्ड भी मकान नम्बर 562, कठपूतली कॉलोनी, कच्ची बस्ती, भवानीसिंह रोड जयपुर का बना हुआ है, इससे

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण ज्योति नगर, कच्ची बस्ती में ही लगातार निवास करते आ रहे थे तथा वर्तमान में प्रत्यर्थिया की स्वयं की अर्जित सम्पति में जबरन कब्जा करके निवास कर रहे है। प्रत्यर्थिया की उक्त सम्पति में स्वयं की आय से तीन दुकानों के किराये से 3000/–रूपये प्रति दुकान से करीब 9000/–रूपये से अधिक आय अर्जित नहीं होती है। प्रत्यर्थिया को स्वयं की बिमारियों उपचार में खर्च वहन करती आ रही है। अपीलार्थी की वर्तमान में परचूनी की दुकान एवं चार कमरे ज्योतिनगर कच्ची बस्ती हरिजन बस्ती भवानी सिंह रोड, जयपुर में रहने योग्य है। मकान नम्बर 724ए, भुजियों का दरवाजा, चीनी की बुर्ज, छोटी चौपड, जयपुर प्रत्यर्थिया की कब्जेशुदा भूमि है, जिस पर चीनी की बुर्ज में राज्य सरकार अथवा राजा महाराजा के समय का किसी भी निवासियों को टाईटल के रूप में पट्टा नहीं दिया गया है, इसलिए टाईटल का विवाद निस्तारण करने प्रश्न करने अधिकारी अपीलार्थी को नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाई जाकर प्रत्यर्थिया की स्वयं अर्जित मकान से बेदखल करने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल मात्र अपीलार्थीगण को मकान नम्बर मकान नम्बर 724ए, भुजियों का दरवाजा, चीनी की बुर्ज, छोटी चौपड, जयपुर से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, प्रत्यर्थिया द्वारा अपीलार्थीगण से कोई भरण पोषण राशि के संबंध में कोई अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थिया जिस सम्पति को स्वयं की होना अवगत कराया है उसके स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेजात यथा पट्टा आदि पेश नहीं किये है, प्रत्यर्थिया नें उक्त सम्पति को कब्जेशुदा होना अंकित किया है। पत्रावली में उपलब्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क. ख.) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जयपुर नगर (पश्चिम जयपुर) के प्रकरण संख्या 66/2003 ब–उनवानी प्यारे मियां बनाम जमीला में पारित आदेश दिनांक 17.01.2008 के द्वारा प्रत्यर्थिया को संपत्ति का किरायेदार माना गया है एवं माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रंम 10 मुकाम जयपुर महानगर के दीवानी नियमित अपील संख्या 39/2012(47/2008) ब– उनवानी जमीला बनाम जरीना निर्णय दिनांक 23.04.2016 द्वारा भी प्रत्यर्थिया जमीला को उक्त विवादित संपत्ति का किरायेदार घोषित किया गया है। प्रत्यर्थिया का उक्त संपत्ति पर मालिकाना हक व अधिकार नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.07.2019 में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है, अतः अधीनस्थ अधिकरण का आदेश यथावत रखा जाता है। फलस्वरूप उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल

निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर